महत्वपूर्ण

संख्या- 6/2015/3525/33-2-15-105जी/13टी0सी0-8

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/ अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उ0 प्र0 ।

पंचायतीराज अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 16 नवम्बर, 2015**

विषय : वेतन समिति (2008) के 12 वें प्रतिवेदन में जिला पंचायतों में आशुलिपिक के पद पर राजकीय विभागों के आशुलिपिक के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के बारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्थानीय निकायों की दी गयी पदवार संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-306बी/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 31 मई, 2013 के प्रस्तर-1(7) में दी गयी व्यवस्था के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय निम्न व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

जिला पंचायतों में प्रत्येक को एक अलग इकाई मानते हुए आशुलिपिक संवर्ग में उपलब्ध पदों, यदि 10 से कम हैं, तो शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2056/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के प्रस्तर-1 (3)की व्यवस्था के अनुसार और यदि 10 से अधिक हैं, तो उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08-09-2010 के प्रस्तर-1(1) व 1 (2) के अनुसार विभाजित करते हुए पदों के पदनाम, वेतनमान, भर्ती हेतु अर्हता एवं संवर्गीय ढांचा इस शासनादेश के निर्गत होने की तरीख से इस प्रतिबंध के अधीन अनुमन्य कराया जाए कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे ।

2- उपरोक्त उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय-भार को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलबध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला पंचायत का ही होगा । उक्त के अतिरिक्त जिला पंचायतों को संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में से कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अपने स्रोतों से हुई आय की धनराशि से संबंधित निकाय अपनी अन्य विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे । संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने स्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरांत अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जायेगा ।

3- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-251/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 07 फरवरी, 2009 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के संख्या-वे0आ0-2-1417/X-15, दिनांक 03-11-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव ।

संख्या- 6/2015 /3525(1)/33-2-15- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
3- मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।
4- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) , उ0प्र0, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि (लेखा) परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
8- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में) ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
12- पंचायतीराज अनुभाग-1/3
13- अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो, उ0 प्र0 ।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

अरविन्द प्रधान
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in